न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प रीवा.

17

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
2 रु. कोर्ट फी Re.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2 रु. COURT भारत दो रुपये
1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

A -1335 - III / 2011

पत्र दिनांक 17/8/11
श्री [illegible]
[illegible]
पेश
17-8-11

23-8-2011

1. तेजभान तनय विशेश्वर उम्र 72 वर्ष, निवासी जनार्दनपुर , तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना, मध्य प्रदेश.
2. बालेन्द्र सिंह तिवारी तनय कमेन्द्र शरण सिंह तिवारी उम्र 45 वर्ष.
3. दुर्गेन्द्र सिंह तिवारी तनय कमेन्द्र शरण सिंह तिवारी उम्र 50 वर्ष.
4. शिवेन्द्र सिंह तिवारी तनय कमेन्द्र शरण सिंह तिवारी.

सभी निवासी ग्रामघोरमारी, तहसीलररामपुर बघेलान, जिला सतना.

अपीलार्थी गण.

: विरुद्ध :

1. सरोज कुमारी पुत्री जनार्दन प्रसाद उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम जनार्दनपुर तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना.
2. जमुना प्रसाद तनय विशेश्वर राम.
3. दिलीप तनय उदयपाल उम्र 72 वर्ष.
4. अभिराम तनय परमेश्वरदीन उम्र 58 वर्ष.
5. रामलखन तनय गजाधर उम्र 50 वर्ष.
6. बृजमोहन तनय महेश उम्र 60 वर्ष.
7. बृजेन्द्र तनय लल्लू उम्र 60 वर्ष.
8. बीरभान तनय जगदेव उम्र 65 वर्ष.
9. रामपाल तनय जगदेव उम्र 60 वर्ष.
10. कमलेश्वर तनय गया प्रसाद उम्र50 वर्ष.
11. दमोदर प्रसाद तनय गया प्रसाद उम्र 50 वर्ष.
12. केशर देवी पत्नी कमलेश्वर उम्र 50 वर्ष.
13. गंगी देवी पत्नी दामोदर उम्र 48 वर्ष.
14. सुशीला देवी पत्नी जमुना.
15. विनोद कुमार तनय जमुना उम्र 45 वर्ष.
16. कल्याण प्रसाद तनय हनुमान प्रसाद उम्र 55 वर्ष.
17. शिव प्रसाद तनय सम्पति उम्र 55 वर्ष.

सभी निवासी ग्राम मनकहरी, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना.

18. नर्मदा प्रसाद तनय विशेश्वर प्रसाद उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम जनार्दनपुर, तहसील रामपुर बघेलान, जिला सतना, मध्य प्रदेश.

प्रत्यर्थी गण.

:2:

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 1335—तीन/2011 जिला सतना

तेजभान सरोज कुमारी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5—11—2015	यह अपील तेजभान तनय विशेषर निवासी जर्नादनपुर तहसील रघुराजनगर जिला सतना ने अपने अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार पाण्डे द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 125/अपील/2010—11 में पारित आदेश दिनांक 5—7—2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।	
	2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को अपनी बहस में दोहराया गया जो उनके द्वारा अपनी अपील मेमों में तथ्य लिखे हुये हैं । अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लिखित बहस में प्रथम आपत्ति यह उठाई गई है, कि यह अपील म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 के प्रावधान के विपरीत है क्योंकि तीसरी अपील प्रस्तुत करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ।	
	3/ मेरे द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया गया, प्रथम अपील अपीलार्थी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वघेलान जिला सतना में प्रकरण कमांक 16/अपील/07—08 प्रस्तुत की गई है, जिसमें पारित आदेश दिनांक 31—5—91 द्वारा अपील निरस्त की गई है एवं द्वितीय अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा को प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 125/अपील/10—11 में दर्ज होकर जिसमें अंतिम पारित आदेश किया जाकर अपीलार्थी की अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की गई है ।	
	4/ अतः म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता की धारा 44 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें तृतीय अपील प्रस्तुत की जा सके । उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थीगण की अपील	

इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य